

भारत का राजपत्र

परिशिष्ट
फॉर्म - 'क'

1 सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा - 2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फॉर्म।

भाग - 1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

1. परियोजना का विवरण		
1. क)	अपेक्षित वन भूमि प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर में राज्य योजना के अन्तर्गत हनुमान मन्दिर से स्थालसी गोरण का नव निर्माण कार्य लम्बाई 3.400 कि०मी० हेतु प्रथम चरण के लिये प्राप्त हुई है जिसके अन्तर्गत कुल 0.8775 हेक्टे० हेतु वन भूमि प्रस्ताव गठित किया गया है।
ख)	150000 स्केल मैप पर वनभूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप संलग्न है।	प्रस्ताव में संलग्न है।
ग)	परियोजना की लागत	रु० 39.25 लाख। (प्रथम चरण)
घ)	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य	अन्य कोई विकल्प न होने के कारण मार्ग का निर्माण वन क्षेत्र से किया जा रहा है।
ड)	लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये)	संलग्न है। (लागू नहीं है।)
च)	रोजगार जिनके पैदा होने के संभावना है	कृषि से उत्पादित नगदी फसलों का उचित मूल्य प्राप्त होगा व निर्माण अवधि में 16 हजार मानव दिवस अर्थाई रूप से सृजित होंगे। कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
2.	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण	सिविल वनभूमि 0.8775 है० है। आरक्षित वनभूमि 0.0000 है० है। कुल योग 0.8775 है० ।
3.	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण यदि कोई है तो	कोई नहीं है।
क	परिवारों की संख्या	लागू नहीं।
ख	अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	लागू नहीं।
ग	पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिये) संलग्न है/लागू नहीं	लागू नहीं।
4.	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है। (हाँ/नहीं) - नहीं	हाँ ।

5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ - साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाय) - संलग्न है।	प्रस्ताव में संलग्न है।
6.	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों का ब्योरा।	समस्त प्रमाण पत्र चैक लिस्ट के अनुसार प्रस्ताव में संलग्न है।

दिनांक
स्थान :- थत्पूड, टिहरी गढ़वाल ।

हस्ताक्षर

(ड० ए०एस० भण्डारी)
अधिरात्री अमियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०, थत्पूड
(टिहरी गढ़वाल)।

प्रस्ताव की कम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ मोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- 17- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने
या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की
विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक,
अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल
टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय
और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

तिथि :

स्थान :

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

- 8 -

भाग-V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

- 17- राज्य सरकार की सिफारिश:
(उपर्युक्त भाग-II या भाग-III या
भाग-IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी
द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर
विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

तिथि :

स्थान :

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर